<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर</u>

पीठासीन अधिकारी:– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 38/2018

बुधराम पुत्र धनाराम जाति बिश्नोई, निवासी फूलासर, तहसील कोलायत जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) बज्जू, जिला बीकानेर

रेस्पोण्डेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री हरिराम बिश्नोई अधिवक्ता
2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 29.04.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार बज्जु के आदेश दिनांक 25.07.2018 द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी न होते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, न्याय, नियम, रूहेदाद मिसल एवं प्रस्तुत रिकार्ड के विपरीत होने के कारण काबिले इखराजी के है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जो तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, वो आदेश निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेन्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अतिक्रमण की शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2018 को चक 8 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 45/7, 45/8, 45/15 पर अतिक्रमण का प्रस्तुत किया। जिसमें चक 8 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 45/8 के किला नम्बर 6 ता 10 कुल 5 बीघा पर अपीलान्ट की पट्टी व तारबंदी से अवैध कब्जा बताया गया जबकि किसी प्रकार की फसल काश्त करना नहीं बताया गया है और नाही पश्चातवर्ती कब्जा काश्त बताया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी न होते हुए कानून के विपरीत जाकर 7 दिन की तारीख पेशी मुकर्रर करके अपीलान्ट को बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये बगैर बिना कोई सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिये एकतरफा तौर पर तीन

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

माह के सिविल कारावास का आदेश पारित कर दिया। सिविल कारावास की सजा तभी जा सकती है जब पश्चातवर्ती कब्जा साबित हो । पटवारी हल्का रिपोर्ट में पश्चातवर्ती कब्जा का उल्लेख नहीं है सिर्फ खरीफ फसल संवत 2075 पर काश्त न करके पट्टिया व तार लगाना बताया है, जो काश्त की श्रेणी में नहीं आता है। मौके पर किसी प्रकार की तारबंदी व पट्टिया नहीं है व ना ही पहले कोई तारबंदी व पट्टिया लगाई हुई है। उक्त विवादित भूमि गलत रूप से आगौर में दर्ज कर दी थी संवत् 2047 में उक्त भूमि को रकबा राज सिवाय चक दर्ज कर दिया। उक्त भूमि रिकार्ड में गैर मुमकिन आगौर तलाई नहीं रही । मौके पर नाडी व तलाई स्थित नहीं है। जिसे दुरूस्त करवाने का वाद सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत व बाद में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर एवं वर्तमान में राजस्व मण्डल राजस्थान में अपील डिक्री संचख्या 5703/2005 से जैरकार है व दिनांक 31.11.2005 को स्थगन आदेश जारी कर रखा है। जब मामला उच्चतर न्यायालय में स्थगन सहित जैरकार हो तो अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर सकता है। अपीलान्ट को दिनांक 03.08.2018 को निर्णय की जानकारी होनें पर नकल बमुकिश्कल दिनांक 23.08.2018 को नकल दी गई व 25 व 26.8.2018 को राजकीय अवकाश होने पर अपील मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जावे एवं अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, न्याय, नियम, रूहेदाद मिसल एवं प्रस्तुत रिकार्ड के विपरीत होने के कारण काबिले इखराजी के है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, निरस्त फरमाया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपीलान्ट बुधराम पुत्र धन्नाराम निवासी फूलासर बड़ा द्वारा चक 8 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नं. 45/8 के किला नं. 6 ता 10 की 5 बीघा कमाण्ड भूमि पर पट्टिया व तारबंदी कर गैर मुमकीन आगौर की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का गौडू द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अपीलान्ट स्वयं हाजिर आकर निवेदन किया कि उक्त भूमि बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में मामला विचाराधीन है। किन्तु कब्जे के सबूत में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया, जिससे उक्त भूमि पर अपीलान्ट का हक साबित हो। उक्त भूमि आराजीराज की आगौर की गैर मुमकीन भूमि है। जिस पर अप्रार्थी/अपीलान्ट का नाजायज रूप से अतिक्रमण पट्टिया व तारबंदी किया जाना साबित है। विभागीय प्रतिनिधि ने यह भी निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परिपत्रों के

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

प्रभावी कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है। अपीलान्ट को गैर मुमकीन आगौर भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने पर अतिक्रमी घोषित कर तीन माह के साधारण सिविल कारावास एवं 50 गुणा तावान की शास्ति आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटवाने के आदेश दिये है, जो न्याय संगत है। अपीलार्थी गैर मुमकीन गौचर भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल द्वारा चक 8 सीडब्ल्यू के मुरब्बा नं. 48/8 के किला नं. 6 ता 10 की 5 बीघा कमाण्ड भूमि पर पट्टिया व तारबदी कर गैर मुमकीन आगौर की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर गैर सायल के विरूद्ध अतिक्रमी घोषित कर बेदखली एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करते हुवे तीन माह के सजा के आदेश किये गये। जबकि अपील में अपीलान्ट के प्रश्नगत भूमि के संबंध में सहायक आयुक्त उपनिवेशन, राजस्व अपील अधिकारी, राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में उच्चतर न्यायालय में प्रकरण जैरकार है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक तीन माह के सिविल कारावास का सम्बन्ध है। मातहत न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से प्रथम दृष्टया यह जाहिर नहीं होता है कि अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है तथा उसे पूर्व में बेदखल किया गया था ना ही बेदखली फर्द तथा इजराय पत्रावली का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

6. लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.07.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बज्जु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उच्चतर न्यायालय में लम्बित प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं स्थगन के संबंध में जांच कर विधि सम्मत आदेश एक माह में पारित करें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर,(प्रशा.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner